न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2019

बउनवान

भैरूलाल पुत्र रामगोपाल जाति–सेन आयु 63 वर्ष निवासी–विजयपुर तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– मेघराज पुत्र रामगोपाल जाति–सेन निवासी–हरिओम नगर सांवरिया जी के मंदिर के पास,कोटा जिला–कोटा

2– लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल जाति–सेन निवासी चारभुजा मंदिर की गली के पास छावनी, कोटा जिला–कोटा

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 20.12.2018 वाके ग्राम–विजयपुरा तहसील–बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रूपेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बनेराज सिंह,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक– 20.1.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2018 मिसल नम्बर 205/2018 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतका मॉगीबाई पुत्री मन्ना के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम विजयपुर तहसील–बारां में सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 99 पुराना 103 की आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.31 है0 कुल 2 किता रकबा 1.11 हैक्टयर स्थित है। खातेदारा मॉगीबाई पुत्री मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट द्वारा ही उक्त आराजियात् को मॉगीबाई के जीवनकाल से आज तक निरन्तर काश्त किया जा रहा है। वर्तमान में भी अपीलांट हीं उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट के अतिरिक्त उक्त आराजियात् पर किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

मृतका मॉगीबाई द्वारा उक्त आराजियात् की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाई गयी है जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के यहॉ नामान्तकरण खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो हल्का पटवारी सीमली को जॉच के आदेश प्रदान किये गये है। हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये है, इसके बावजूद विधि विरूद्व निर्णय पारित करने से न्याय प्रभावित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है जो कि कानून होने से निरस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का निर्णय दिनांक 20.12.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम—1 व 2 सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के माता मॉगीबाई पुत्री मन्नाजी के ग्राम विजयपुरा में आराजी ख0नं0 118 रकबा 0.80 है0 व 120 रकबा 0.31 है0 कुल 2 किता रकबा 1.11 है0 अवस्थित है। मृतका मॉगीबाई की माता ने उनके कोई पुत्र नहीं होने से अपीलांट को उसके जीवनकाल से हीं गोद ले लिया था तथा अपीलांट नानी के पास हीं रहा है। अपीलांट ने हीं वर्णित आराजियात् की देखभाल की है तथा काबिज काश्त रहा है। वर्तमान में भी उक्त अराजियात् पर अपीलांट की काबिज काश्त है। मृतका मॉगीबाई अपीलांट के पास हीं रहीं है। उसकी देखभाल व सेवासुश्रेषा अपीलांट ने हीं की है। तीनों पुत्र पिता की आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट हीं मॉगीबाई माता की मृत्युपरान्त तहरीरी वसीयत दिनांक 1.7.2010 के आधार पर वसीयती पुत्र होने से उक्त आराजियात् को प्राप्त करने का वैधानिक वारिस है।

4— अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मॉगीबाई की मृत्यु होने पर, उक्त आराजीयात् की वसीयत के आधार पर फौती इन्तकाल खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। हल्का पटवारी ने वसीयत के संबंध में कोई उल्लेख नहीं कर, विधि विरूद्व रिपोर्ट दिनांक 04.07.2018 को पेश की गयी। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मृतका मॉगीबाई का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत की ग्राहयता की कोई जॉच नहीं की है। ना हीं अपीलांट को सुनवाई जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया है। उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य लेकर, वसीयत की जॉच उपरान्त आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों के प्रतिकूल जाकर, आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, वसीयत के आधार पर वर्णित आराजियात् का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक क्रम—1 व 2 ने अपीलांट अभिभाषक के कथन पर अभिव्यक्त किया कि विवादित आराजी मॉगीबाई माता की खातेदारी भूमि है। यदि वसीयत सही [illegible] के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 118 रकबा 0.80 है0 व ख0नं0 120 रकबा 0.31 है0 ग्राम विजयपुरा मृतका मॉगीबाई पुत्री मन्ना सा.देह के खातेदारी की भूमि है। अपीलांट व रेस्पोंडेट मृतका से वारिसान् है। अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है मृतका मॉगीबाई ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 01.07.2010 को वसीयत तहरीर की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच व सुनवाई किये बिना, बिना साक्ष्य सबूत लिये विरासतन फौती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जावे। इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक का तर्क है कि वसीयत की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया जा सकता है। इस परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतका मॉगीबाई द्वारा दिनांक 01.07.2010 को तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत की कोई जॉच नहीं की गयी है। ना हीं वसीयत पर अपीलांट व वसीयत के गवाहान की साक्ष्य ली है तथा ना हीं विरासतन वारिसान् की विधिवत सुनवाई की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच व पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 20.12.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट व मृतका मॉगीबाई के वारिसान् एवं वसीयत के गवाहान को विधिवित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested